

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस

क्रमांक रीडर/2022/
प्रार्थी

4629

बनाम

दिनांक - 07/12/22

अप्रार्थीगण


1 गुणेशाराम पुत्र फूसाराम जाति मेघवाल निवासी जटियों कुम्हारों की बस्ती, मूढों की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

1 राजूराम 2 रामाराम पिसरान फूसाराम 3 खेताराम पुत्र रावताराम 4 जेठाराम पुत्र पदमाराम 5 गुणेशाराम पुत्र लूणाराम जाति मेघवाल 6 आसुराम पुत्र धनाराम 7 मेहराराम पुत्र रूपाराम जाति कुम्हार 8 वागेखां पुत्र मभा खां जाति मुसलमान निवासी जटियों कुम्हारों की बस्ती, मूढों की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत राजस्व आवेदन संख्या :- 200/2022 दिनांक—

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा जटिया कुम्हारों की बस्ती पटवार क्षेत्र मूढों की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण व जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 263/26 रकबा 9.2187 हैक्टयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व प्रार्थी व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीशनर शुल्क रूपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।


(समदरसिंह भाटी)
उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2022/ 4690-94
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

दिनांक- 07/12/22

1. तहसीलदार बाड़मेर ग्रामीण पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी मूढों की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. गुणेशाराम पुत्र फूसाराम जाति मेघवाल निवासी जटियों कुम्हारों की बस्ती, मूढों की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।
4. विप्रार्थी राजूराम पुत्र फूसाराम वगैराह जाति मेघवाल निवासी जटियों कुम्हारों की बस्ती, मूढों की ढाणी तहसील बाड़मेर ग्रामीण जिला बाड़मेर।


उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर